हैरान करने वाली हकीकत

गंगा और यमुना सरीखी नदियों के प्रदूषण को दूर करने में मिली नाकामी की तह में जा रहे हैं असित के. बिस्वास

10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और मदन लोकुर की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के आधार पर यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को लेकर असंतोष व्यक्त किया। इस पीठ ने टिप्पणी की कि यमुना के पानी की गुणवत्ता में जरा भी सुधार के बगैर ही इसकी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई के अभियान पर 1,062 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी अपने स्तर से इस प्रयोजन में करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसके बावजूद यमुना में प्रदूषण घटने के बजाय और बढ़ गया है।

ध्यान रहे कि यमुना की सफाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का यह पहला मामला नहीं है। 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई के लिए अपने स्तर पर सक्रियता दिखाई थी। तब उसने ने एक अखबार में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया था। बाद में 12 अप्रैल, 2005 को जस्टिस वाईके सब्बरवाल और तरुण चटर्जी की पीठ ने कहा कि यमुना को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति ही नहीं है। 2005 में दिल्ली सरकार बिना ट्रीटमेंट के ही यमुना में गंदा पानी डाल रही थी। साथ ही हजारों कारखाने भी ठीक यही कर रहे थे।

1994 से प्रदूषित पानी यमुना में प्रवाहित किया जा रहा है। यमुना ही नहीं देश की सभी नदियों को अनियोजित शहरीकरण मैला कर रहा है। नदियों की गंदगी के कारण देश को हर साल सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड सेंटर फॉर वाटर मैनेजमेंट के अध्ययन के अनुसार देश में कुल 10 फीसदी गंदे जल को ही सही ढंग से एकत्रित करके, परिशोधन करके नदियों और झीलों में डाला जा रहा है। पानी के प्रदूषण की समस्या दशकों से जारी है। हालांकि, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव, नौकरशाही की लालफीताशाही, अक्षमता, जनता की उदासीनता, मीडिया की सामाजिक सराकारों से जुड़े मुद्दे उठाने की अनिच्छा और भारी पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार आदि तमाम घटकों ने समस्या को विकराल बनाने में योगदान दिया है। नदियों का प्रदूषण अब एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या में तब्दील हो गया है।

सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे हैं, समस्या उससे कहीं जटिल है। सुप्रीम कोर्ट यमुना के जिस हिस्से में प्रदूषण पर चिंता जता रहा है वह वर्षों से खुला नाला बन चुका है। इसके पानी की गुणवत्ता मानव के किसी भी इस्तेमाल के लिए जरूरी मानकों से लाखों-करोड़ों गुना नीचे है। भारतीय मानकों के अनुसार किसी भी नदी के पानी में नहाने के लिए कोलीफॉर्म की मात्रा 500एमएनपी/100 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। निजामुद्दीन, कालिंदी और ओखला में यह दर 1700 करोड़ एमएनपी/100 लीटर पर पहुंच गई है। यानी यमुना का पानी मानकों से साढ़े तीन करोड़ गुना प्रदूषित है। असल हालात इससे भी कई गुना बदतर हैं। जब ये सैंपल लिए गए थे तब मानसून जारी था और बारिश के पानी ने यमुना में प्रदूषण को काफी कम कर दिया था। गैर मानसूनी महीनों में यमुना का पानी और भी बदतर हो जाता है। यह दुर्दशा केवल यमुना की ही नहीं है। भारत की पावनतम नदी गंगा, जिससे लोगों की भावनाएं और आस्था कहीं गहरे जुड़ी हुई हैं, की भी वही गत है जो दशकों से यमुना की है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा कार्ययोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी। करीब 25 साल के बाद और एक बार फिर अरबों रुपये खर्च करने के बाद यह पहले से कहीं अधिक प्रदूषित हो चुकी है।

यहां सवाल उठता है कि इतनी भारी-भरकम रकम खर्च करने के बाद भी गंगा-यमुना इतनी प्रदूषित क्यों हैं? नदी के पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। भारत में विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और निवेश के लिए राशि उपलब्ध है। फिर क्यों हजारों करोड़ रुपये सीधे-सीधे नाले में बहा दिए जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं और इनमें सबसे प्रमुख कारण है राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, दखलंदाजी और आपसी शत्रुता। उदाहरण के लिए, केंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें होने के कारण दोनों एक-दूसरे के कामों में अड़ंगे लगाते रहते हैं। इसके अलावा, हर स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की अक्षमता और भ्रष्टाचार भी गंगा-यमुना की सफाई में बाधक हैं।

गंगा और यमुना की सफाई योजनाओं में दो बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की जाती है। पहला-अगर नदी के प्रदूषण को दूर करना है तो योजना दूरगामी होनी चाहिए। अगले 20 सालों में भारत की आबादी में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिलेगा। आज के मुकाबले 2030 में भारत बिल्कुल अलग देश होगा। तब तक भारत में जल संकट विस्फोटक रूप धारण कर लेगा। योजना वर्तमान हालात के साथ-साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। गंगा एक्शन प्लान में रोजाना 2,7940 लाख लीटर सीवर की गंदगी के परिशोधन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि उस समय भी 5,0440 लाख लीटर गंदगी गंगा में उड़ेली जा रही थी। शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से यह योजना अगर पूरी तरह कामयाब हो भी जाती तो भी भविष्य तो दूर की कौड़ी है, उस समय के प्रदूषण को भी दूर नहीं कर पाती।

दूसरे, भारत को अन्य देशों के उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए। छठे दशक में सिंगापुर की नदियां भी गंगा-यमुना की तरह ही प्रदूषित थीं। सिंगापुर के तात्कालिक प्रधानमंत्री ली कुआन ये ने नदियों के स्वच्छीकरण का बीड़ा उठाया। उन्होंने नदियों की सफाई की परियोजना की मासिक प्रगति पर रिपोर्ट तलब की। नौकरशाही को नदियों की सफाई के लिए दस साल का समय दिया और पर्याप्त बजट रखा। समयसीमा के भीतर ही काम पूरा हो गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि सरकार ने नदी किनारे बसे तमाम लोगों का पुनर्स्थापन किया। परिणामस्वरूप, सिंगापुर की नदियों के तट अब आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। अध्ययन से पता चलता है कि नदियों को साफ करने पर जितनी लागत आती है, उसका दस गुना अधिक उससे लाभ होता है। इसके अलावा इससे समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण को अनमोल फायदा तो होता ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नदियों की सफाई न केवल संभव है, बल्कि गंदगी में रहने के बजाय स्वच्छता में रहना काफी सस्ता भी है। यमुना और गंगा की सफाई की वर्तमान योजना को देखते हुए पूरे निश्चय के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है कि जब तक इनमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक ये नदियां और भी अधिक प्रदूषित होती रहेंगी।

(लेखक सिंगापुर में ली क्वान स्कूल आफ पब्लिक पालिसी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

योजना में बदलाव

- **यमुना और गंगा की सफाई की वर्तमान योजना को देखते हुए भविष्यवाणी की जा सकती है कि जब तक इनमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता तब तक ये और भी अधिक प्रदूषित होती रहेंगी**